न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3090 – 111/2014 विरूद्व आदेश दिनांक 23–6–2014 पारित व्दारा –अनुविभागीय अधिकारी,विजावर,जिला छतरपुर – प्रकरण कमांक 4/अपील/पुर्नविलोकन /2013–14

प्रकाश चन्द्र पुत्र फूलचंद्र जैन
2-- प्रशान्त पुत्र प्रकाश चन्द्र जैन
दोनों निवासी ग्राम किशुनग़
तहसील विजावर जिला छतरपुर ----- आवेदकगण

विरूद्व

अवधेश कुमार पुत्र बलदाउ गोस्वामी
ग्राम किशुनगढ़ तहसील विजावर
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ------अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वरिशष्ठ शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 5 –8–2015 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, विजावर,जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 4/अपील/पुर्नविलोकन /2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23–6–2014 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम किशुनगढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 132/2 'अ' एंव 132/2 'ब' एंव 134 (आगे जिसे वादंग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पूर्व से शासकीय अभिलेख में म0प्र0शासन की दर्ज थी, जिस पर अतिक्रमण की शिकायत होने पर नायव तहसीलदार विजावर ने प्रकरण कमांक 904 बी 121/2012–13 पंजीबद्व किया तथा आवेदकगण को सुनवाई हेतु आहुत किया। नायव तहसीलदार विजावर ने जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 8–2–13 पारित किया तथा अभिनिर्धारित किया कि सर्वे कमांक 132/2 (अ) रकबा 3.063 के भाग 30X30 वर्गफुट भूमि आवेदकगण को 16.4.1994 को पटटे पर प्राप्त है इसलिये संहिता की धारा 248 का प्रकरण उनके विरूद्व प्रचलन योग्य नहीं है। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी विजावर के समक्ष अपील सहपठित पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो अनुविभागीय अधिकारी विजावर ने प्रकरण कमांक 4/अपील/पुर्नविलोकन/2013–14 पर पंजीबद्व कर पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–6–2014 से सर्वे कमांक 132/2 (अ) रकबा 3.063 के भाग 30X30 वर्गफुट भू–भाग पर किये जा रहे निर्माण कार्यवाही पर आगामी आदेश तक रोक लगाते हुये पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने का निर्णय लिया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो मे लिखे हैं । इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि जब नायव तहसीलदार विजावर ने प्रकरण कमांक 904 बी 121/2012–13 में जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 8–2–13 पारित कर अभिलेख के आधार पर निर्धारित कर दिया कि सर्वे कमांक 132/2 (अ) रकबा 3.063 के भाग 30X30 वर्गफुट भूमि का भू भाग आवेदकगण को 16.4.1994 को पटटे पर प्राप्त है इसलिये संहिता की धारा 248 का प्रकरण उनके विरूद्व प्रचलन योग्य नहीं है, इस पर ध्यान न देते हुये अनुविभागीय अधिकारी ने पुर्नविलोकन अथवा अपील प्रकरण किस आधार पर दर्ज किया है कोई उल्लेख अंतरिम आदेश दिनांक 23–6–14 में नहीं किया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रचलन योग्य न होने से निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का

आदेश दिनांक 23–6–14 निरस्त किया जावे। अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि भूमि शासकीय है, जिस ग्राम पंचायत के पटटे को नायव तहसीलदार ने भूखंड का पटटा माना है ग्राम पंचायत को मध्य प्रदेश शासन की भूमि जब तक देने का अधिकार नहीं है, तब तक भूमि ग्राम पंचायत को आवास योजना में भूखंड आवंटन हेतु मद परिवर्तित कर आवंटित नहीं कर दी जावे ।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के प्रकरण कमांक 4/अपील/पुर्नविलोकन /2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23–6–2014 के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के समक्ष अपील सहपठित पुर्नविलोकन प्रस्तुत होने पर उन्होंने अंतरिम आदेश दिनांक 23–6–14 से सर्वे कमांक 132/2 (अ) रकबा 3.063 के भाग 30X30 वर्गफुट भूभाग पर किये जा रहे निर्माण कार्यवाही पर आगामी आदेश तक रोक लगाते हुये पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने का निर्णय लिया है । आवेदकगण तथा अनावेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना–अपना पक्ष प्रबल रूप से रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदकगण को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों के अनुकूल नहीं है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी बिजावार के अंतरिम आदेश दिनांक 23–6–14 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। फलतः अनुविभागीय अधिकारी बिजावर व्दारा प्रकरण कमांक 4/अपील/पुर्नविलोकन /2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–6–2014 स्थिर रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर